

## order Sheet [Contd]

प्र०क० 94/17 बैल

| te of<br>Order or<br>Proceeding | Order or proceeding with Signature of presiding  | Signature of<br>Parties or<br>Pleaders where<br>necessa |
|---------------------------------|--|---|
| 6-आवेदक/अ                       | <p>आरोपी बलराम कुशवाह द्वारा श्री केशव सिंह अधिवक्ता ।<br/>परिवादी द्वारा श्री अरुण श्रीवास्तव अधिवक्ता ।<br/>आवेदक/आरोपी की ओर से पेश आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 439<br/>जा०फो० में निवेदन किया गया है कि विद्युत विभाग द्वारा एक परिवादपत्र<br/>झूठा प्रस्तुत किया है जिससे उसका कोईसंबंध सरोकार नहीं है । आरोपी<br/>शान्ति प्रिय जीवन यापन करने वाला ग्रामीण व्यक्ति है जिसमें उसे पुलिस<br/>के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है । वह जमानत की सभी शर्तों का<br/>पालन करने को तैयार है । ऐसी दशा में उसे नियमित जमानत पर छोड़े<br/>जाने का निवेदन किया गया है ।</p> <p>परिवादी विद्युत विभाग के अधिवक्ता ने विरोध किया ।<br/>प्रकरण का अवलोकन किया गया । अभिलेख का अवलोकन से<br/>परिवादी विद्युत विभाग ने आरोपी के विरुद्ध स्ट्रीट लाईट के पोल से<br/>पी०वी०सी० सफेद रंग के दो तार डालकर घहेलु विद्युत का अप्राधिकृत रूप<br/>से उपयोग करने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया है जिसमें आरोपी के विरुद्ध<br/>जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट के पालन में उसे दिनांक 3-3-17 को<br/>गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया ।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । आरोपी को दिनांक<br/>3-3-17 को गिरफ्तार कर उप जैल गोहद भेज गया है तब से वह<br/>अभिरक्षा में है । प्रकरण के निराकरण में अभी समय लगने की संभावना है<br/>। आवेदक ने व्यक्त किया कि वह विद्युत विभाग की बकाया राशि जमा<br/>करा देगा । ऐसी दशा में आवेदक की ओर से पेश आवेदनपत्र प्रकरण के<br/>तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुये स्वीकार करते हुये आदेश दिया जाता है<br/>कि आवेदक की ओर से 10000/-दस हजार रुपये की सक्षम जमानत एवं<br/>इतनी ही राशि का व्यक्तिगत मुचलका पेश किये जाने पर उसे नियमित<br/>जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है ।</p> <p>प्रकरण आरोप तर्क हेतु दिनांक 25-3-17 को पेश हो ।</p> <p style="text-align: center;">विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद</p> |   |

